उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग — 3
संख्या 3830(6)/9—आ—3—91.6—आर0ए0—91
लखनऊ, 19 जून, 1992

अधिसूचना

पी0जी0 — 775

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जिला नैनीताल के निम्नलिखित क्षेत्र की भूमि के अव्यवस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण ओर निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने के लिए और समुचित योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1958) के अधीन विनियमित करना अपेक्षित है ।

अतएव अब उक्त अधिनियम की धारा3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के अधीन विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं —

विनियमित क्षेत्र काशीपुर

(एक) नगरपालिका काशीपुर, जिला नैनीताल की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र।

(दो) तहसील काशीपुर, जिला नैनीताल के निम्नलिखित राजस्व ग्रामों की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र —

1— कुण्डा	2— बेतवाला	3— कचनौल गाजी	4— मानपुर
5— रमपुरा	6— नीझड़ा	7— बेलजूडी	8— मिस्सरवाला
9— कुदइया वाला	10— लालपुर	11— हरियावाला	12— सरवरखेड़ा
13— जसपुर खुर्द	14— गंगापुर गोसाई	15— कुण्डेश्वरी	16— शिवलालपुर डल्लू
17— कुआ खेडा	18— टांडा उज्जैन	19— ढकिया गुलाबो	20— रायपुर खुर्द
21— गंगापुर रकवा	22— बसई	23— शाहगंज	24— बांसखेडा कला
25— पसियापुर	26— खडकपुर देवीपुरा	27— कुण्डेसरा	28— नन्दरामपुर
29— जैतपुर घोसी	30— सांडखेडा	31— हेमपुर इस्माईलपुर	32— दोहरी परसा
33— कचनाल गोसाई	34— खोखराताल	35— गिन्नी खेडा	36— बांसखेडा खुर्द

आज्ञा से
आर0एस0माथुर,
प्रमुख सचिव।